गुजरात में चीनी मिलों के बन्द होने के संबंध में समीक्षा किया जाना

7656. श्री चिमनभाई हरिभाई शुक्ल: क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुजरात की उन चीनी मिलों की समीक्षा की हैं जो या तो बन्द हो गई है या बन्द होने के कगार पर हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या राज्य में चीनी मिलों के बेहतर प्रबंधन के लिए संसद सदस्यों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) इन मिलों को बन्द होने के कारण उत्पादन के रूप में कितना घाटा हुआ है ?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) तथा (घ) हाल ही में मंत्रालय में इस तरह का कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ङ) उत्पादन के संबंध में घाटे का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता क्योंकि उत्पादन कई कारणों जैसे–गन्ने की उपलब्धता, प्लांट तथा मशीनरी की दशा, प्रबंधकीय कौशल आदि पर निर्भर करता है ।

चीनी के उत्पादन हेतु लक्ष्य

7657. श्री चिमनभाई हरिभाई शुक्ल : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्तूबर, 1994 से आरंभ हुए फसल मौसम में चीनी के उत्पादन के लिए निर्धारित लक्ष्य के बारे में खाद्य मंत्रालय तथा नागरिक आपूर्ति मंत्रालय के बीच मतभेद था ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या उक्त मतभेद के कारण चीनी के मूल्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(घ) मतभेदों के बारे में दोनों मंत्रालयों द्वारा क्या कारण बताए गए तथा चीनी के उत्पादन और वितरण पर इसका क्या प्रभाव पड़ा; और

(ङ) चीनी की कमी को समाप्त करने हेतु सरकार द्वारा बनाई गई नीति का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता ।

(ङ) वर्तमान अनुभार के अनुसार चालू चीनी मौसम 1994–95 (अक्तूबर 1994 से सितम्बर 1995 तक) चीनी उत्पादन 143.00 लाख टन होने की आशा है । अंतः पूर्वाशिष्ट स्टाक तथा दिसम्बर 1994 तक पहले ही आयात की गई आयातित चीनी के स्टाक सहित चीनी उत्पादन के स्तर के साथ 1994–95 मौसम के दौरान देश की घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए चीनी की पर्याप्त उपलब्धता रहेगी ।

चीनी के नए कारखाने स्थापित किया जाना

7658. चौधरी हरमोहन सिंह :
श्री ईश दत्त यादव :

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चीनी के 25 नए कारखाने स्थापित किए हैं अथवा स्थापित करने का विचार रखती है ;

(ख) यदि हां, तो उनका राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा वे किन-किन क्षेत्रों में हैं; और

(ग) वित्तीय वर्ष 1995–96 में चीनी के नए कारखाने खोलने तथा पुराने कारखानों का आधुनिकीकरण करने के संबंध में सरकार की क्या योजना है ?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख) केन्द्र सरकार देश के किसी भी भाग में चीनी मिलें स्थापित नहीं करती हैं। तथापि, वह नई चीनी मिलें स्थापित करने के लिए लाइसेंसिंग नीति संबंधी वर्तमान मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप आशय पत्र/औद्योगिक लाइसेंस मंजूर करती है। 1993–94 चीनी वर्ष के दौरान देश के विभिन्न राज्यों में नई चीनी मिलों की स्थापना के लिए 74 आशय पत्र जारी किए गए हैं जिनमें से 25 उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं।

(ग) नई चीनी फैक्ट्रियों की स्थापना के लिए आशय पत्र दिनांक 8–11 91 के प्रैस नोट सं. 16 के तहत भारत सरकार द्वारा घोषित लाइसेंस नीति संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार मंजूर किए जाते हैं।

चीनी मिलों को आधुनिकीकरण तथा पुनः स्थापन के लिए चीनी विकास निधि से ब्याज की रियायती दरों पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। कोई भी चीनी उपक्रम जो अपने प्लांट तथा मशीनरी के आधुनिकीकरण/पुनः स्थापन के लिए आधुनिकीकरण तथा पुनः स्थापना की संगत योजनाओं के तहत सहायता के लिए किसी वित्तीय संस्थान द्वारा अनुमोदित हो, वह सामान्यतः चीनी विकास निधि से ऋण का पात्र होता है। 1995–96 के दौरान मंजूर की जाने वाली वित्तीय सहायता की राशि प्राप्त आवेदनों की संख्या तथा निर्धारित शर्तों को उनके द्वारा पूरा करने पर निर्भर करेगी।

देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत चीनी का वितरण

7659. श्री अजीत जोगी :
श्री मूलचन्द मीणा :

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत देश के विभिन्न राज्यों को चीनी की प्रति यूनिट कितनी मात्रा आबंटित की जा रही है और उसका राज्य-वार ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या मध्य प्रदेश को आबंटित कोटे की मात्रा अन्य राज्यों की तुलना में कम है ; और

(ग) यदि हां, तो इसे बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख) आंशिक नियंत्रण की वर्तमान नीति के अंतर्गत अधिकतर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को लेवी चीनी के मासिक आबंटन एकरूप मानकों के आधार पर किए जा रहे हैं जिससे 1–10–1986 को प्रक्षिप्त जनसंख्या के लिए 425 ग्राम प्रति व्यक्ति मासिक उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। यह मानदंड 1–2–1987 से लागू है। तथापि कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वहां पर स्थित विशेष परिस्थितियों को देखते हुए अधिक पैमाने पर आबंटन अनुमत किए जा रहे हैं। तदनुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वितरण के लिए प्रत्येक माह लगभग 3.35 लाख टन चीनी आबंटित की जा रही है। उपरोक्त के अतिरिक्त सरकार लगभग एक लाख टन चीनी प्रति वर्ष त्यौहार कोटे के रूप में रिलीज करती है जो कि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनके मासिक लेवी आबंटनों के अनुपात में आबंटित की जाती है।

उपर्युक्त के आधार पर मध्य प्रदेश के लिए लेवी चीनी का आबंटन निम्न प्रकार से है :

(i) मासिक कोटा– 25031 मी० टन

(ii) वार्षिक त्यौहार कोटा–7536 मी०टन

लेवी चीनी का मासिक कोटा तथा वार्षिक त्यौहार कोटे का राज्यवार दर्शाने वाला विवरण दिया गया है (नीचे देखिए)

(ग) लेवी चीनी के आबंटन में बढ़ोतरी वर्तमान चीनी मौसम तथा उसके पश्चात प्राप्त किए जाने वाले चीनी उत्पादन के स्तर पर निर्भर करेगा।